कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/ प्रारं/आरटीई/ सी/18876/आरटीई दिशा निर्देश/2023-24 दिनांक

–: पी.एस.पी. कोड मर्ज हेतु दिशा–निर्देश :–

गैर सरकारी विद्यालय जिन्हें दो पी.एस.पी. कोड आवंटित है व इनमें से एक पी.एस.पी. कोड प्रत्याहरित किया जाना है के संबंध में दिशा–निर्देश :–

विद्यालय द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

01. जिस पी.एस.पी. कोड. को सरेन्डर किया जाना है उसी पी.एस.पी. कोड से विद्यालय लॉगिन कर पी.एस.पी कोड मर्ज करनें संबंधी सभी प्रविष्टियां पूर्ण कर ऑनलाईन आवेदन करें।
02. आवेदन में दोनों पीएसपी कोड के मान्यता/क्रमोन्नति मान्यता/माध्यम के आदेश अपलोड करने होंगे।
03. पी.एस.पी. कोड जिसे सरेन्डर किया जाना है के मर्ज करनें की कार्यवाही पूर्ण करनें से पूर्व भली–भांति जांच ले कि उक्त पी.एस.पी कोड के अन्तर्गत यदि आर.टी.ई. के अन्तर्गत निःशुल्क अध्ययनरत बालक हैं तो ऐसे सभी बालकों का पूर्व के सभी सत्रों का आरटीई पुनर्भरण गैर सरकारी विद्यालय द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। पी.एस.पी. कोड के सरेन्डर करनें की कार्यवाही पूर्ण करनें के पश्चात आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों के पुनर्भरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पाएगा परन्तु आगामी सत्रों का पुनर्भरण नवीन पीएसपी कोड (जिसमें पूर्व पीएसपी कोड को मर्ज कर दिया गया है।) के साथ किया जायेगा। बिना पुनर्भरण प्राप्त किये पीएसपी मर्ज हेतु आवेदन करने पर पूर्व सत्रों के आर.टी.ई. पुनर्भरण से वंचित रहनें पर समस्त जिम्मेदारी गैर सरकारी विद्यालय की होगी।

जिशिअ द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

01. विद्यालय द्वारा पीएसपी मर्ज के आवेदन करने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय लॉगिन पर प्रदर्शित होगें।
02. जिला कार्यालय द्वारा दोनों पीएसपी कोड से संबंधित अपलोड किये गये दस्तावेजों की जांच जायेगी।

Signature valid

RajKaj Ref
5345769

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2024.01.22 1?:22:09 IST
Reason: Approved

03. दोनो पीएसपी कोड की मान्यता/क्रमोन्नति मान्यता/माध्यम के आदेश एक ही विद्यालय के होने पर तथा विद्यालय का सोसायटी विवरण समान होने पर आवेदन सत्यापित किये जायेगें।

04. दोनों पीएसपी कोड में अपलोड दस्तावेज में अगर असमंजस स्थिति लगती है। तो संबंधित विद्यालय से अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जा सकती है। असतुष्ट होने पर आवेदन रिजेक्ट किया जा सकेगा।

05. सत्यापित आवेदन निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा को अग्रेषित किये जायेगें। निदेशालय द्वारा आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किये जायेगें।

(सीताराम जाट)
निदेशक
IAS
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid

RajKaj Ref
5345769

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2024.01.22 1?:22:09 IST
Reason: Approved